न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री अमानुल्लाह खांन
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
51/प्रा0पत्र/2021	06.08.2021	16.08.2021

श्री छोटूलाल आ0 गोपीलाल जाति माली निवासी खानपुरा तहसील नैंनवा जिला बून्दी। – प्रार्थी

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से – स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री छोटूलाल आ0 गोपीलाल जाति माली निवासी खानपुरा तहसील नैंनवा जिला बून्दी द्वारा दिनांक 06.08.2021 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी की बहस सुनी गई।

राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 65(ख) राजस्थान कोर्ट फीस स्टाम्प वैल्यूएशन रूल्स 1961 के नियम 27(1) तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(5) वित्त कर 03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के लिये श्रीमान् जिला कलक्टर, बून्दी के आदेश क्रमांक 646–649/रीडर/2018 दिनांक 12.04.2018 से अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी को अधिकृत किया गया है।

बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थी ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश, नैंनवा जिला बून्दी में दीवानी वाद सं.–45/2021 उनवान श्री छोटूलाल आ0 गोपीलाल जाति माली निवासी खानपुरा तहसील नैंनवा जिला बून्दी में लोक अदालत की भावना से निर्णय हुआ है। जिसमें कोर्ट फीस वादी को वापिस लोटाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अतः कोर्ट फीस स्टाम्प की राशि वापिस प्रार्थी को लौटाई जावें। इस संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश, नैंनवा जिला बून्दी ने प्रमाण पत्र दिनांक 31.07.2021 द्वारा जारी किया गया है। जिसमें प्रार्थी को कोर्ट फीस 6,625/– रूपये वापस लौटाये जाने का आदेश पारित हुआ है। अतः श्री छोटूलाल आ0 गोपीलाल जाति माली निवासी खानपुरा तहसील नैंनवा जिला बून्दी को कोर्ट फीस राशि 6,625/– रूपये का भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न न्यायालय सिविल न्यायाधीश, नैंनवा जिला बून्दी के पत्र दिनांक 31.07.2021 से प्रार्थी को न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) राशि 6,625/- रूपये (अक्षरे-छः हजार छः सौ पच्चीस रूपये) लौटाने के आदेश दिये गये है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश, नैंनवा जिला बून्दी के आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कोर्ट फीस स्टाम्प 5000/- रूपये के 01 नग स्टाम्प नम्बर 085948, स्टाम्प 1000/-रूपये का 01 नग स्टाम्प नम्बर 085856, स्टाम्प 500/- रूपये का 01 नग स्टाम्प नम्बर 055203, स्टाम्प 10/- रूपये के 12 नग, स्टाम्प 1/- रूपये के 05 नग, कुल नग 20, कुल स्टाम्प राशि 6,625/-रूपये राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2 (5) F.D./कर/03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार राजस्थान कोर्टफीस एण्ड सूट वेलूऐशन रूल्स् 1961 के नियम 27 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी को 6,625/- रूपये राज्य सरकार के पत्रांक प. 2 (32) F.D./कर/06 दिनांक 07.03.2007 के अनुसार स्टाम्प रिफण्ड कटौती 6.25 प्रतिशत की दर से 414/- रूपये की कटौती करते हुये शेष राशि 6,211/-रूपये (अक्षरे-छः हजार दौ सौ ग्यारह रूपये) का भुगतान प्रार्थी श्री श्री छोटूलाल आ0 गोपीलाल जाति माली निवासी खानपुरा तहसील नैंनवा जिला बून्दी को करने की स्वीकृति दी जाती है। प्रार्थी को भुगतान हेतु स्टाम्प एवं पत्रादि केशियर जिला कलेक्ट्रेट, बून्दी को भिजवावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

(अमानुल्लाह खान, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)